न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 25/2020
जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00180

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेण्ट्स :–

हिम्मतलाल पुत्र रामाजी, जाति लवार, निवासी टेवाली खुर्द, तहसील व जिल पाली (राज.)

1. श्रीमती फूली पत्नी जीताराम
2. रतन पुत्री जीताराम
3. कमला पुत्री जीताराम
4. शान्ति पुत्री जीताराम
5. मदनलाल पुत्र जीताराम
6. ललित पुत्र जीताराम
7. ढलाराम पुत्र रामाजी तमाम उम्र बालिग, जातिगण लवार, निवासीगण टेवाली खुर्द, तहसील व जिला पाली (राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22.07.2024

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम टेवाली खुर्द के नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 16.12.1978 जो तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी वक्त बहस उपस्थित हुये। रेस्पोडेण्ट संख्या 02, 03 एवं 04 की ओर से अधिवक्ता से कमलेश चौहान वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पोडेण्ट संख्या 01, 05, 06 व 07 बाद तामिल वकालतन एवं असालतन वक्त बहस अनुपस्थित। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा ग्राम टेवाली खुर्द तहसील पाली में हाल खाता संख्या 245, खसरा संख्या 195 रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा, किस्म बारानी अव्वल/सेवज अव्वल व खसरा संख्या 211 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, किस्म बारानी अव्वल, कुल खसरान् 2, रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा की कृषि भूमि पूर्व राजस्व रेकर्ड अनुसार रामा, चिमना पि. जोरा लवार साकिन टेवाली खुर्द के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि में अपीलाण्ट के स्व. पिता रामा पुत्र जोरा राजस्व रेकर्ड अनुसार सह खातेदार थे, जो अपने हक–हिस्से पर शान्तिपूर्ण काबिज रहकर काश्त करते रहे एवं स्व0 रामा के बाद अपीलाण्ट सहित उनके विधिक वारिशान अपने हक–हिस्से में आई भूमि पर आज दिन तक शांतिपूर्ण काबिल होकर काश्त कर रहे हैं। अपीलाण्ट के स्व. पिता रामा पुत्र जोरा के बाद विरासत का जैर नामान्तरकरण भरते समय त्रुटिपूर्वक वास्तविक नाम हिम्मतलाल पुत्र रामा के स्थान पर केसा पुत्र रामा दर्ज कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण निरस्त फरमावें।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने वक्त बहस उपस्थित होकर कथन किया कि जैर नामान्तरकरण अगर नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये अपील मीमो व अपने साक्ष्य से यह कथन कि उसका वास्तविक नाम हिम्मतलाल पुत्र रामा है जबकि त्रुटिपूर्वक उसका नाम केसा पुत्र रामा दर्ज कर दिया गया। इसलिए जैर नामान्तरकरण भरते समय त्रुटिपूर्वक दर्ज किये गये उक्त नाम का संशोधन किया जाये। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य व रेस्पो. के जवाब से प्रथम–दृष्ट्या उक्त तथ्य उचित प्रतीत होता है परन्तु फिर भी सम्पूर्ण जांच के बाद नाम के संशोधन का विषय है। अतएव जैर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में स्थानीय निकाय एवं विधिवत उचित जांच कर यह सुनिश्चित करे कि हिम्मतलाल एवं केसा एक ही व्यक्ति है एवं तदनुसार उचित जांच कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.08.2024 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक **22.07.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner